रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 306
No. 53] DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935 [N.C.T.D. No. 306

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 मार्च, 2013

सं. फा. 14(4)/एलए-2013/Cons 2 Law/11.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013
(2013 का दिल्ली अधिनियम 01)

(25 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथापारित)

[28 मार्च, 2013]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ।

(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होता है ।

(3) यह अधिनियम सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा, सिवाय

(क) इस अधिनियम की धारा 12 जो जून, 2012 के 18वें दिन से प्रभावी मानी जायेगी

(ख) इस अधिनियम की धारा 13 जो मार्च, 2013 के 31वें दिन से प्रभावी मानी जायेगी ।

2. **धारा 2 में संशोधन** :—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) जिसे इसके बाद "मूल अधिनियम" कहा गया है की धारा 2 की उप-धारा (1) में :—

(i) खंड (ज़ ग) में उप-खंड (viii) में संख्या (ix) के लिये संख्या (vii) तथा "धारा" शब्द के स्थान पर "उप-धारा" शब्द को क्रमश: प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) खंड (ज़ घ) में उप-खंड (v) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944(1944 का 1) या सीमा कर अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम) के अंतर्गत वसूलनीय या वसूल की गई शुल्क की राशि चाहे यह शुल्क विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय हो, तथा"

(iii) खंड (य घ) में उप-खंड (vii) में "व्याख्या-1" से पूर्व एक परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"उपबंध है कि जहां व्यापारी भारत के क्षेत्र में आयातित सामान की बिक्री करता है, बिक्री मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा :—

(क) व्यापारी द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली मूल्यगत बिक्री;

(ख) संबंधित सामान के आयात के समय सीमा-शुल्क के समय सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य ।"

3. **धारा 3 में संशोधन** :—मूल नियमावली की धारा 3 में उप-धारा (4) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) व्यापारी के सकल कर का भुगतान प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति के इक्कीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

"स्पष्टीकरण :—कर भुगतान का दायित्व इस प्रावधान के कारण पैदा होता है तथा यह रिटर्न जमा करने पर या व्यापारी को निर्धारण का नोटिस दिए जाने पर निर्भर नहीं है ।"

4. **धारा 9 में संशोधन** :—मूल नियमावली की धारा 9 में—

(i) उप-धारा (9) के खंड (क) में उप-खंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ii)"उक्त इनपुट कर का शेष 2/3 भाग समान अनुपात में संबंधित कर अवधियों में तत्काल आगामी दो वित्तीय वर्षों में:";

(ii) उप-धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(11) इस धारा की उप-धारा (1), (2) तथा (3) के अधीन अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (य ग) के उप-खंड (vi) में यथापरिभाषित बिक्री के लिए प्रयोग सामान का कर जमा निम्न प्रकार से अनुमत होगा:

(क) कर अवधि में ऐसी वस्तुओं पर इनपुट कर का 1/4 चौथाई, उसी कर अवधि में;

(ख) तीन आसन्न उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सम्बद्ध कर अवधियों का ऐसे इनपुट कर का शेष 3/4 समान अनुपात में ।"

5. **धारा 16 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) में—

(i) प्रथम परन्तुक में, जहां कहीं शब्द "धारा" आता है, उसके स्थान पर शब्द "उप-धारा" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ii) परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"आगे शर्त यह है कि यदि सरकार ने इस धारा की उप-धारा (12) के अन्तर्गत व्यापारियों की किसी श्रेणी के लिये समझौता/समाधान योजना अधिसूचित की है, तो ऐसे व्यापारियों के लिये इस उप-धारा के अन्तर्गत कर के भुगतान करने के लिये कोई विकल्प नहीं रहेगा ।"

6. **धारा 18 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

7. **धारा 22 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) आयुक्त, तीन माह तक के अन्तरालों पर विभागीय वेबसाइट पर जिन पंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है उनके ऐसे यथानिर्धारित विवरण प्रदर्शित करेंगे ।"

8. **धारा 26 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 26 में—

(i) उप-धारा (1) में शब्द "तथा पद्धति" अन्त में जोड़े जाएंगे ।

(ii) उप-धारा (2) और उप-धारा (3) हटाई जाएंगी ।

9. **धारा 34 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जिस व्यक्ति ने इस अधिनियम की धारा 26 या 28 के अन्तर्गत एक या अधिक कर अवधियों को मिलाकर वर्ष के अन्त में कोई विवरणी प्रस्तुत की है; अथवा"

10. **धारा 36क में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 36क में—

(i) उप-धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"शर्त यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत ठेकेदारों की स्थिति में कर कटौती की दर (स्रोत पर कटौती) 6 प्रतिशत होगी ।"

(ii) उप-धारा (1 क) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत उप-ठेकेदारों की स्थिति में दर (स्रोत पर कटौती) 6 प्रतिशत होगी ।"

11. **धारा 44 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में शब्द "उपायुक्त मूल्य संवर्धित कर" के उपरान्त शब्द "तथा सहायक आयुक्त मूल्य संवर्धित कर" सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

12. **धारा 58क में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 58क में—

(i) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उप-धारा (1) को उपबंध का, इसमें कुछ भी रहते हुए, प्रभाव होगा कि व्यापारी के खाते इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत लेखा परीक्षा करा ली गई है या अन्यथा ।"

(ii) उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (1) के अन्तर्गत अभिलेख की जांच और लेख परीक्षा के व्यय एवं प्रासंगिक व्यय (लेखाकार या लेखाकार के एक के पेनल या व्यवसायी या व्यवसायियों के पेनल के पारिश्रमिक सहित) आयुक्त द्वारा ज्ञात करके भुगतान किया जाएगा और यह निर्धारण अन्तिम होगा ।"

13. **धारा 74 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (10) में शब्द "आठ" के स्थान पर शब्द "दस" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

14. **धारा 86 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (18) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(18) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अनुपालन के प्रति विफल रहता है, तो व्यापारी अपनी कुल बिक्री या एक लाख रुपये की राशि, जो भी कम हो, के एक प्रतिशत के बराबर राशि, अर्थदंड के रूप में भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा ।"

15. **धारा 87 में संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (5) के बाद निम्नलिखित उप-धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) यदि—

(क) कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत अर्थदंड के भुगतान के प्रति उत्तरदायी है; और

(ख) व्यक्ति धारा 60 के अन्तर्गत कार्रवाईयों के दौरान कर त्रुटि के होने संबंधी लिखित में आयुक्त का स्वैच्छा से प्रकट करता है; और

(ग) उक्त कार्रवाईयों के समापन के तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी कर त्रुटि का भुगतान करता है;

माने गए तथा भुगतान किए गए कर के स्थान पर अन्यथा देय अर्थदंड की राशि अस्सी प्रतिशत तक कम की जाएगी ।"

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th March, 2013

No. F. 14(4)/LA-2013/Cons 2 Law/11.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 28th March, 2013 and is hereby published for general information :—

"The Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013
(Delhi Act 01 of 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th March, 2013)

[28th March, 2013]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the Official Gazette, appoint, except (a) Section 12 of this Act shall be deemed to have come into force on the 18th day of June, 2012.

(b) Section 13 of this Act shall be deemed to have come into force on the day of 31st March, 2013.

2. **Amendment of section 2.**—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred to as 'the Principal Act', in section 2, in sub-section (1),—

(i) in clause (zc), in sub-clause (viii), for the number '(ix)', the number '(vii)' and for the word 'section', the word 'sub-section', shall respectively be substituted;

(ii) in clause (zd), for sub-clause (v), the following shall be substituted, namely :—

"amount of duties levied or leviable on the goods under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the Customes Act, 1962 (52 of 1962), or the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010) whether such duties are payable by the seller or any other person; and"

(iii) in clause (zd), in sub-clause (vii), before the 'Explanation-1', a Proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where the dealer makes sale of goods imported into the territory of India, the sale price shall be greater of the following :

(a) the valuable consideration received or receivable by the dealer;

(b) value determined by the Custom authorities for payment of custom duty at the time of the import of such goods."

3. **Amendment of section 3.**—In the principal Act, in section 3, for sub-section (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) The net tax of a dealer shall be paid within twenty one days of the conclusion of each calendar month.

Explanation.—The obligation to pay the tax arises by virtue of this provision and is not dependent on furnishing a return, nor on the issue of a notice of assessment to the dealer.".

4. **Amendment of section 9.**—In the principal Act, in section 9,—

(i) in sub-section (9), in clause (a), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely :—

(ii) "balance 2/3rd of such input tax, in equal proportions, in corresponding tax periods, in two immediately successive financial years";

(ii) after sub-section (10), the following sub-section, shall be inserted, namely :—

"(11) Subject to sub-sections (1), (2) and (3) of this section, the tax credit of goods to be used for sale, as defined in sub-clause (vi) of clause (zc) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, shall be allowed as follows :—

(a) 1/4th of the input tax on such goods arising in the tax period, in the same tax period;

(b) balance 3/4th of such input tax, in equal proportions, in corresponding tax periods, in three immediately successive financial years."

5. **Amendment of section 16.**—In the principal Act, in section 16, in sub-section(1),—

(i) in the first proviso, for the word 'section', wherever occurring, shall be substituted by the words "sub-section".

(ii) after the proviso, the following proviso, shall be inserted, namely :—

"Provided further that in case the Government has notified a composition scheme for a class of dealers under sub-section (12) of this Section, such dealers shall not have an option to pay tax under this sub-section."

6. **Amendment of section 18.**—In the principal Act, in section 18, in sub-section (2), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

7. **Amendment of section 22.**—In the principal Act, in section 22, for sub-section (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) The Commissioner shall, at intervals not exceeding three months, host on the departmental website, such particulars as may be prescribed, of registered dealers whose registration has been cancelled.".

8. **Amendment of section 26.**—In the principal Act, in section 26,—

(i) in sub-section (1), the words "and manner" shall be added in the end.

(ii) sub-section (2) and sub-section (3) shall be omitted.

9. **Amendment of section 34.**—In the principal Act, in section 34, in sub-section (1), for clause (a) the following shall be substituted, namely :—

"(a) the end of the year comprising of one or more tax periods for which the person furnished a return under section 26 or 28 of this Act; or"

10. **Amendment of section 36A.**—In the principal Act, in section 36A,—

(i) in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the rate of deduction of tax (TDS) shall be 6% in case of sub-contractors not registered under this Act.".

(ii) in sub-section (1A), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the rate of deduction of tax (TDS) shall be 6% in case of contractors not registered under this Act.".

11. **Amendment of section 44.**—In the principal Act, in section 44, in sub-section (2), in clause (b), after the words "Deputy Commissioner of Value Added Tax", the words "and the Assistant Commissioner of Value Added Tax" shall be inserted.

12. **Amendment of section 58A.**—In the principal Act, in section 58A,—

(i) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The proviso of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the dealer have been audited under any other provision of this Act or any other law for the time being in force or otherwise."

(ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) The expenses of, and incidental to, the examination and audit of records under sub-section (1), (including the remuneration of the accountant or a panel of accountants or professional or panel of professionals) shall be determined and paid by the Commissioner and that determination shall be final.".

13. **Amendment of section 74.**—In the principal Act, in section 74, in sub-section (10), for the word "eight", the word "ten" shall be substituted.

14. **Amendment of section 86.**—In the principal Act, in section 86, for sub-section (18), the following shall be substituted, namely:—

"(18) If, any dealer fails to comply with the privisions of section 49 of this Act, the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to one percent of his turnover or a sum of one lakh rupees, whichever is less.".

15. **Amendment of section 87.**—In the principal Act, in section 87, after sub-section (5), the following sub-section, shall be inserted, namely :—

'(6) If—

(a) a person is liable to pay penalty under section 86 of this Act; and

(b) the person voluntarily discloses to the Commissioner, in writing, the existence of the tax deficiency, during the course of proceedings under section 60; and

(c) makes payment of such tax deficiency within three working days of the conclusion of the said proceedings;

the amount of the penalty otherwise due, against the admitted and paid tax, shall be reduced by eighty per cent.'."

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy. (Law Justice & L. A.)

सं. फा. 14(3)/एलए-2013/Cons. 2 Law/22.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2013
(2013 का दिल्ली अधिनियम 02)

(20 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[28 मार्च, 2013]

वर्ष 2012-13 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2013 है ।

1079,85,00,000/- रुपयों का वर्ष 2012-2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार उन्नयासी करोड पिचासी लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

विनियोजन ।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

				राशि इससे अधिक नहीं	
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड
1	2		3	4	5
1	विधान मंड़ल	राजस्व	. .	. .	. .
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	7200	3570	10770
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	202	. .	202
4	वित्त	राजस्व	30000	. .	30000
5	गृह	राजस्व	2900	800	3700
		पूंजी	10000	. .	10000
6	शिक्षा	राजस्व	2300	12848	15148
		पूंजी	100	. .	100
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	1700	500	2200
		पूंजी	100000	. .	100000
8	समाज कल्याण	राजस्व	2580994	1806	2582800
		पूंजी	4414500	. .	4414500
9	उद्योग	राजस्व	900	. .	900
10	विकास	राजस्व	3095180	. .	3095180
		पूंजी	528700	. .	528700
11	शहरी विकास एवं लोक	राजस्व	2200	. .	2200
	निर्माण	पूंजी	2100	. .	2100
12	ऋण	पूंजी	. .	. .	. .
13	पेंशन	राजस्व	. .	. .	. .
	जोड		10778976	19524	10798500

No. F. 14(3)/LA-2013/Cons 2 Law/22.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th March, 2013 and is hereby published for general information :—

"The Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013
(Delhi Act 02 of 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 20th March, 2013)

[28th March, 2013]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2012-13.

BE it enacted by the Legilative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013.

Issue of Rs. 1079,85,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2012-2013

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees one thousand seventy nine crore eighty five lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule,

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and purposes		Sums Not Exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charges on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue	..	..	..
2	General Administration	Revenue	7200	3570	10770
3	Administration of Justice	Revenue	202	..	202
4	Finance	Revenue	30000	..	30000
5	Home	Revenue	2900	800	3700
		Capital	10000	..	10000
6	Eduacation	Revenue	2300	12848	15148
		Capital	100	..	100
7	Medical and Public Health	Revenue	1700	500	2200
		Capital	100000	..	100000
8	Social Welfare	Revenue	2580994	1806	2582800
		Capital	4414500	..	4414500
9	Industries	Revenue	900	..	900
10	Development	Revenue	3095180	..	3095180
		Capital	528700	..	528700
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2200	..	2200
		Capital	2100	..	2100
12	Loans	Capital	..	..	..
13	Pension	Revenue	..	..	..
	Total		10778976	19524	10798500

सं. फा. 14(3)/एलए-2013/Cons 2 Law/33.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या 02) अधिनियम, 2013
(2013 का दिल्ली अधिनियम 03)

(26 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[28 मार्च, 2013]

वर्ष 2013-14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्ष

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2013 है ।

37450,00,00,000/- रुपयों का वर्ष 2013-2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए सैतिस हजार चार सौ पचास करोड रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013-2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

					राशि इससे अधिक नहीं
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड
1	2		3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व	175000	8100	183100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1187950	100350	1288300
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	4888900	1427080	6315980
4	वित्त	राजस्व	2240650	50	2240700
		पूंजी	330000	..	330000
5	गृह	राजस्व	3374200	6200	3380400
6	शिक्षा	राजस्व	51353250	15450	51368700
		पूंजी	1981000	..	1981000
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	33018550	8650	33027200
		पूंजी	650000	..	650000

1	2		3	4	5
8	समाज कल्याण	राजस्व	29895400	. .	29895400
		पूंजी	18565600	. .	18565600
9	उद्योग	राजस्व	3291250	350	3291600
		पूंजी	1592700	. .	1592700
10	विकास	राजस्व	17679950	1770	17681720
		पूंजी	4657000	500	4657500
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	63073500	400	63073900
		पूंजी	89881200	. .	89881200
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	. .	30250000	30250000
		पूंजी	. .	13270000	13270000
12	ऋण	पूंजी	25000	. .	25000
13	पेंशन	राजस्व	1550000	. .	1550000
	जोड़		329411100	45088900	374500000

ए. एस. यादव, प्रधान सचिव

No. F. 14(3)/LA-2013/Cons 2 Law/33.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th March, 2013 and is hereby published for general information :—

"The Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2013
(Delhi Act 03 of 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 26th March, 2013)

[28th March, 2013]

An Act to authorize payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2013-14.

BE it enacted by the Legilative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2013.

Issue of Rs. 37450,00,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees thirty seven thousand four hundred fifty crore only towards defrying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Sums Not Exceeding		
1	2		3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue	175000	8100	183100
2	General Administration	Revenue	1187950	100350	1288300
3	Administration of Justice	Revenue	4888900	1427080	6315980
4	Finance	Revenue	2240650	50	2240700
		Capital	330000	..	330000
5	Home	Revenue	3374200	6200	3380400
6	Education	Revenue	51353250	15450	51368700
		Capital	1981000	..	1981000
7	Medical and Public Health	Revenue	33018550	8650	33027200
		Capital	650000	..	650000
8	Social Welfare	Revenue	29895400	..	29895400
		Capital	18565600	..	18565600
9	Industries	Revenue	3291250	350	3291600
		Capital	1592700	..	1592700
10	Development	Revenue	17679950	1770	17681720
		Capital	4657000	500	4657500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	63073500	400	63073900
		Capital	89881200	..	89881200
	Public Debt	Revenue	..	30250000	30250000
		Capital	..	13270000	13270000
12	Loans	Capital	25000	..	25000
13	Pension	Revenue	1550000	..	1550000
	Total		329411100	45088900	374500000

A. S. YADAV, Pr. Secy.

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2013

सं. एस.ई.सी./दि.न.नि./प्रशा./उप चुनाव/2013/3977.—दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या-2 में दर्शाए गए अधिकारियों को उनके सामने कॉलम 3 में दर्शाए गए वार्ड तथा नगर निगम के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तरी व पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के आगामी उप चुनावों के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ।

तालिका

क्रम संख्या	नाम, पदनाम एवं चुनाव पर्यवेक्षक का पता	सम्बंधित नगर निगम व वार्ड की संख्या और नाम जिसके लिये नियुक्त किया गया
1	2	3
1.	श्री रवि दाधीच (दानिक्स), अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं वितरण विभाग, दिल्ली सरकार विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002	43-नांगलोई पूर्वी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में
2.	श्री आर.पी. मीना (दानिक्स), सचिव (ए.पी.एम.सी.) कृषि उत्पादन विपणन कमेटी परिसर, एन.एफ.एम. फेस-II, सराये पीपल थला, आजादपुर, दिल्ली-110033	256-यमुना विहार पूर्वी दिल्ली नगर निगम में

राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 28th March, 2013

No. SEC/MCD/Admn./Bye-Election/2013/3977.—In pursuance of the powers conferred upon me under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 and in pursuance of the provisions contained in Rule 4 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, I, Rakesh Mehta, State Election Commissioner, National Capital Territory of Delhi, hereby appoint, the Officers of the Govt. of N.C.T. of Delhi as shown in column 2 of the table below, as 'Election Observer' for the Ward and Municipal Corporation shown against each in column 3 of the table below, in connection with the forthcoming bye-election to two Wards of North Delhi/East Delhi Municipal Corpration.

TABLE

S. No.	Name, Designation and Office Address of Election Observer	Ward No. & Name of the concerned Municipal Corporation
1	2	3
1.	Sh. Ravi Dadhich, DANICS, Addl. Commissioner (F&S), Govt. of NCT of Delhi, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002	43-Nangloi East in North Delhi Municipal Corporation
2.	Sh. R.P. Meena, DANICS, Secretary (APMC), Agricultural Produce Marketing Committee Complex, NGM Ph-II, Sarai Peepal Thala, Azadpur, Delhi-110033	256-Yamuna Vihar in East Delhi Municipal Corporation

RAKESH MEHTA, State Election Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.